बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7. सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

फैक्स/ई-मेल
दूरभाष सं०- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611/2215978
ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक : 1-2-1-506/2014-1558 पटना, दिनांक 09 मार्च, 2014 ई०।

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
बिहार।

विषय : **लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 – आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में मार्गदर्शन प्राप्त करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 की अधिसूचना के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

2. इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में पूर्व से निर्गत सभी दिशा-निर्देशों को समेकित करते हुए COMPENDIUM OF INSTRUCTION -VOL-III में निर्गत किया गया है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट http://eci.nic.in/eci_main/ElectoralLaws/compendium/VOL-III_24022014.pdf पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा FAQ निर्गत किया गया है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट के साथ साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट http://ceobihar.nic.in/mcc/Faq_MCC.pdf पर भी देखा जा सकता है।

3. आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में विभिन्न कार्यालयों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से सीधे पत्राचार किया जा रहा है। कतिपय ऐसे मामले, जिनके संदर्भ में उपर्युक्त वर्णित COMPENDIUM OF INSTRUCTION -VOL-III एवं FAQ में स्पष्ट रूप से भारत निर्वाचन आयोग का निदेश उल्लिखित है, के संदर्भ में भी दिशा-निर्देश की मांग की जाती है।

4. उपर्युक्त के आलोक में निदेशानुसार अनुरोध है कि वैसे मामले, जिनके संदर्भ में उपर्युक्त वर्णित COMPENDIUM OF INSTRUCTION -VOL-III एवं FAQ में स्पष्ट रूप से भारत निर्वाचन आयोग का निदेश उल्लिखित नहीं है अथवा इन से आच्छादित नहीं है, को ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया जाये। साथ ही अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को यह स्पष्ट निदेश दिया जाये कि वे ऐसे मामलों में विभाग के माध्यम से ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से मार्गदर्शन की मांग करें।

विश्वासभाजन
8/3/2014
(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

"मजबूत लोकतंत्र – सबकी भागीदारी"

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक-6/वि०1-1034/04-582 पटना, दिनांक- 12.3.14

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र/ सभी अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/14
(वीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियंता (नागरिक)

लोक सभा आम निर्वाचन, 2014
अति महत्वपूर्ण।

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (बैगल्स रोड), बिहार, पटना-800015

निर्वाचन / अत्यावश्यक
फैक्स / ई-मेल / स्पीड पोस्ट

फोन नं0 :- 0612-2217362
फैक्स नं0 :- 0612-2215811
ई-मेल :- ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक:- एम1-006/2014- 1556 पटना, दिनांक 09 मार्च, 2014 ई0।

प्रेषक,
हुसैन यूसुफ रिज़वी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,
सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार।

विषय:- **लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 आदर्श आचार संहिता के आलोक में विभिन्न प्रस्तावों / विषयों में भारत निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति प्राप्त करने के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में।**

अभियंता प्रमुख
सं. सचिव (प्र.को.)

महाशय

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार सूचित करना है कि आदर्श आचार संहिता के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध मे सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-437/6/1/2014-CC&BE दिनांक 05.03.2014 एवं पत्रांक-437/6/1/2014-CC&BE दिनांक 05.03.2014 से प्राप्त अनुदेशों की प्रतियाँ सभी संबंधित को भेजी गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट www.eci.gov.in पर उपलब्ध COMPENDIUM OF INSTRUCTIONS ON CONDUCT OF ELECTION Vol.-I, II, II एवं IV: Model Code of Conduct: Frequently Askod Question (FAQs) Regarding MCC तथा DO's & DONT's में वर्णित अनुदेशों के आलोक में भेजे जाने वाले प्रस्तावों की समीक्षा सर्वप्रथम प्रशासी विभाग / कार्यालय के स्तर पर कर ली जाये। यदि इन अनुदेशों के आलोक में मामला स्पष्ट न हो तभी संबंधित प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भेजा जाये, ताकि उसपर भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय प्राप्त किया जा सके।

यह भी देखा जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामले सीधे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को संबोधित कर भेजे जा रहे हैं। यह प्रक्रिया सही नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में कार्यालयों / संस्थाओं / निकायों से सीधे पत्राचार करना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के लिये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इससे निर्वाचन के संचालन कार्य की तैयारी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को मात्र राज्य सरकार के विभागों, विभागाध्यक्षों एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा ऐसे मामले प्रेषित / अग्रसारित किये जाने चाहिए। अतः विभिन्न सरकारी कार्यालयों, निकायों, संस्थाओं इत्यादि द्वारा अपने प्रशासी विभाग / विभागाध्यक्ष या जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी के माध्यम से ही मामले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को भेजे जायें। संबंधित विभाग / विभागाध्यक्ष / जिला निर्वाचन पदाधिकारी आयोग के अनुदेशों के आलोक में सम्यक् रूप से विचार कर संबंधित कार्यालय / संस्था / निकाय को जानकारी देंगे अथवा आवश्यकता होने पर भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेंगे।

कृपया इसकी जानकारी सभी संबंधित को दे दी जाये तथा उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाते हुए ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय को मामले अग्रसारित / प्रेषित किये जायें। यह ध्यान रखा जाये कि जिन मामलों में भारत

"मजबूत लोकतंत्र-सबकी भागीदारी"

निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति की आवश्यकता हो, उन्हें पर्याप्त समय रहते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाये तथा यथासंभव यह भी अंकित कर दिया जाये कि मामला कितना महत्वपूर्ण है तथा इसमें कोई समय–सीमा निर्धारित है अथवा नहीं।

इस कार्यालय को अग्रसारित मामलों में यदि तत्काल उत्तर प्राप्त न हो तब समय रहते स्मारित किया जाये। ऐसा परामर्श इसलिए दिया जा रहा है, ताकि कार्यभार के चलते यदि कोई मामला छूट रहा हो तो वह भी इस कार्यालय के ध्यान में आ जाये। इसके लिए यह भी अनुरोध है कि भेजे जाने वाले स्मार में संबंधित मामले का इस प्रकार उल्लेख कर दिया जाये, ताकि स्मार पत्र को देखकर ही विषय का ज्ञान हो सके।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
ह॰ 9.3.14
(हुसैन यूसुफ रिज़वी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:– 1556 पटना, दिनांक 09 मार्च, 2014 ई0।

प्रतिलिपि:– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ 9.3.14
(हुसैन यूसुफ रिज़वी)
संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक–6/वि०-1034/04 -583 पटना, दिनांक– 12.3.14

प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र/ सभी अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ 12/3/14
(वीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियंता (नागरिक)

"मजबूत लोकतंत्र–सबकी भगीदारी"